प्रतिवेदन

①

कार्य का नाम :– मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0–221/2013 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विकासखण्ड विकासनगर में ग्राम पंचायत पष्टा की मजरा (हरिजन बस्ती) आमवाला, मल्लावाला II से पीपलसार तक भूड से सडक का नव निमार्ण कार्य हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

(लम्बाई– 6.500 किमी0)

उपरोक्त सडक मार्ग के निर्माण हेतु उत्तराखण्ड शासन देहरादून के शासनादेश 6000/III(2)13–28(प्रा0आ0)/2013 दिनॉक 22/11/2013 के द्वारा जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र विकासनगर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत पष्टा की मजरा (हरिजन बस्ती) आमवाला, मल्लावाला से पीपलसार तक भूड से सडक का नव निर्माण हेतु 6.00 किमी0 लम्बाई की स्वीकृति प्राप्त है लेकिन वास्तविक लम्बाई 6.500 किमी0 आती है इसलिये यह प्रस्ताव 6.500 किमी0 लम्बाई में तैयार किया गया है। इस मार्ग के बनने से ग्राम पंचायत पष्टा की मजरा (हरिजन बस्ती) आमवाला, मल्लावाला एंव पीपलसार के ग्राम वासियों को यातायात का लाभ मिलेगा। तथा इसी मार्ग से ग्रामीणों की नगदी फसलों को मण्ड़ी तक पहुंचानें में सुविधा मिलेगी। प्रस्तावित भूमि की स्थिति निम्न प्रकार है –

1 – आरक्षित वन भूमि	–	3.9550है0
2 – वन पंचायत भूमि	–	0.0000है0
3 – सिविल सोयम वन भूमि	–	0.0000है0
4 – नाप भूमि मोटर मार्ग हेतु	–	0.5950है0
5 – नाप भूमि मक डम्पिंग हेतु	–	0.4800है0
योग	–	5.0300 है0

भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव 6.500 किमी0 लम्बाई में जिसमें नाप भूमि 7 मीटर चौड़ाई में तथा आरक्षित वन भूमि 7.00 मी0 चौडाई में ली गई है। इस मार्ग में कुल नाप भूमि 1.075 है0 सिविल सोयम भूमि 0.00 है0, आरक्षित वन भूमि 3.9550 है0, वन पंचायत भूमि 0.00 है0 कुल 3.9550 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड़ सरकार को वन भूमि हस्तान्तरण किये जाने के लिए प्रस्ताव गठित किया गया है। उक्त प्रस्तावित भूमि न्यूनतम है। इसके अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक समरेखंण की सम्भावना नहीं है। औपचारिक कार्यवाही हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया, आख्या संलग्न है।

उक्त सडक मार्ग के निर्माण से लगभग 625 लोगों की जनसंख्या लाभान्वित होगी तथा उक्त ग्राम सडक मार्ग से जुड़ जायेंगे। पर्वतीय ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्र से यातायात से जुड़ कर लाभान्वित हो जायेगें और नगदी फसलों को बाजार तक विपणन करने की सुगम सुविधा उपलब्ध होगी।

सर्वेक्षण के आधार पर उक्त मार्ग का समरेंखण इस प्रकार से निर्धारित किया गया है कि उक्त ग्राम सडक मार्ग से जुड जायेगा एंव मानक के अनुरूप न्यूनतम वन भूमि उपयोग में लाई जायेगी, जिससे कम वृक्ष एंव फसलें प्रभावित होगी। सडक मार्ग का 5650 मी0 लम्बाई में आरक्षित वन भूमि की 7.00 मी0 चौडाई में वृक्षों की गणना की गई। जिससे कम से कम वृक्षों का पातन होगा।

जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र – विकासनगर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत पष्टा की मजरा (हरिजन बस्ती) आमवाला, मल्लावाला से पीपलसार तक भूड से सडक का नव निर्माण हेतु 3.9550 है0 आरक्षित वन भूमि लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण के सम्बन्ध में वन भूमि प्रस्ताव गठित कर विधिवत् स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।

कनिष्ठ अभियन्ता नि0ख0, लो0नि0वि0 देहरादून	सहायक अभियन्ता नि0ख0, लो0नि0वि0 देहरादून	अधिशासी अभियन्ता नि0ख0, लो0नि0वि0 देहरादून

प्रभागीय वनाधिकारी
कालसी/भू0सं0/वन प्रभाग,
कालसी।